ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2017 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे

स्थानः कुलपति महोदय का आवासीय समागार

उपस्थिति

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय गोपाल,प्रतिकुलपति	—	सदस्य
3.	डा0 अजय नाथ झा,कुलानुशासक	—	सदस्य
4.	डा0 भोला चौरसिया,अध्यक्ष छात्रकल्याण	—	सदस्य
5.	डा0 अजीत कुमार चौधरी	—	सदस्य
6.	डा0 एन0के0 अग्रवाल	—	सदस्य
7.	डा0 अवधेश कुमार सिंह	—	सदस्य
8.	डा0 डी0 एन0 पासवान	—	सदस्य
9.	डा0 अरूणिमा सिन्हा	—	सदस्य
10.	डा0 बिरेन्द्र कुमार चौधरी	—	सदस्य
11.	श्रीमती इस्मत जहाँ	—	सदस्य
12.	डा0 बैद्यनाथ चौधरी	—	सदस्य
13.	डा0 विनोद कुमार चौधरी	—	सदस्य
14.	डा0 फैयाज अहमद	—	सदस्य
15.	श्रीमती नीलिमा ठाकुर	—	सदस्य
16.	श्री चन्दन यादव	—	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	—	सदस्य
18.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	—	सदस्य
19.	डा0 मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलसचिव	—	सचिव
20.	मो0 अमानुल हक	—	आमंत्रित सदस्य
21.	श्री आर0बी0 साह, वित्त पदाधिकारी	—	विशेष आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । तत्पश्चात्, कोरम पूरा होने की सूचना प्रदान् करते हुए बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमति माननीय कुलपति सह अध्यक्ष महोदय से माँगी गयी। बैठक के प्रारंभ में अभिषद् सदस्य डा0 विनोद कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय परिवार के तीन नये माननीय सदस्यों को उनके इस पहली बैठक में स्वागत किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा । इनके प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया तथा माननीय प्रतिकुलपति डा0 जय गोपाल, कुलसचिव डा0 मुस्तफा कमाल अंसारी एवं वित्तीय परामर्शी मो0 अमानुल हक को मिथिलांचल परम्परानुसार पाग, चादर पुष्प गुच्छ आदि से सम्मानित किया गया। माननीय सदस्य ने स्वागत हेतु सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 11.04.2017 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, मद सं0 5 के अ0 म0 सं0 2 में कृत कार्रवाही से आगामी बैठक में अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त मद सं0 11 के प्रस्ताव को 'विद्यापति चेयर की स्थापना हेतु संदीप फॉउण्डेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार झा द्वारा 7,00,000 (सात लाख) रूपया एव "डा0 बैद्यनाथ चौधरी द्वारा 1,00,000 (एक लाख)" रूपया प्राप्ति के बाद स्थापना के संबंध में विचार' अंकित कर पढ़ा जाय। तथा अतिरिक्त मद सं0 14 के निर्णयांतर्गत गठित तदर्थ समिति में स्थानीय विधायक के नामित नहीं होने पर श्री लक्ष्मेश्वर राय द्वारा आपत्ति की गयी। साथ ही आपत्ति के संबध में सहमति बनी कि महाविद्यालय के विकास में गठित तदर्थ समिति यदि बाधक होती है तो तदर्थ समिति पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाय।उपर्युक्त संशोधनों के साथ अभिषद् की गत बैठक दिनांक 11.04.2017 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया।

मद सं0 2. अभिषद् की बैठक दिनांक 11.04.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः अभिषद् की बैठक दिनांक 11.04.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। (परिशिष्ट–क) (पृष्ठ संख्या– 8 – 11)

मद सं0 3. नामांकन समिति की दिनांक 15.04.2017 की बैठक की कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से दिनांक 15.04.2017 को हुए नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ख) (पृष्ठ संख्या–12)

मद सं0 4. अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 20.05.2017 के कार्यवृत्त अभिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 20.05.2017 के कार्यवृत्त के मद सं0 4 में डा0 शशिभूषण कुमार विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र, आर0 के0 कॉलेज के संबंध में की गई निम्नांकित अनुशंसाओं पर विचार किया गया–

Since compliance of the resolution of the Syndicate meeting dated 09-04-2016 was not made in totality as verification of degree/certificate issued by Vinayaka Mission, University and U.G.C. was not done; and since the termination letter was also issued by the then Deputy Registrar II and not by the Registrar, the Committee resolves that the matter be refered to the Syndicate with full facts which will decide the issue keeping in view the recommendation of the Committee dated 21-03-2017 which was constituted in the light of the syndicate decision for verification of degree/certificate. The Committee recommended as follows-

1. "डा0 शशिभूषण कुमार की सेवा बर्खस्तगी में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।
2. अभिषद् की बैठक दिनांक 09.04.2016 के मद सं0 18 में डॉ0 कुमार को बर्खस्त करने का निर्णय नही लिया गया था जबकि महाविद्यालय द्वारा निर्गत बर्खास्तगी पत्र में उक्त बैठक का उल्लेख है।
3. डॉ0 शशिभूषण कुमार की सेवा के बर्खास्तगी का आधार कामेश्वर सिंह दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षिक अनुभव को आधार बनाया गया जबकि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त अभिलेख के अनुसार डॉ0 कुमार अभी भी ग्रहणावकाश पर हैं। ऐसी स्थिति में सेवा की बर्खास्तगी अवैध है। अतः डॉ0 कुमार की सेवा बर्खास्तगी को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।
4. कुलाधिपति कार्यालय से बराबर वेतन भुगतान के लिए पत्र स्मारित किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में डॉ0 कुमार का लम्बित वेतन का भुगतान किया जा सकता है।"

26/5/17

निर्णयः विचारोपरान्त, डॉ0 कुमार की सेवा बर्खास्तगी को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा बहाल करने का निर्णय लिया गया। अनुशासन समिति के अन्य निर्णयों को यथावत अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ग) (पृष्ठ संख्या–13 – 15)

मद सं0 5. वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.05.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.05.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। साथ ही मद सं0 05 के अधीन आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में 15% की वृद्धि किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद दिया गया तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त आठ कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हेतु राशि का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव निदेशक द्वारा सलाहकार समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय लिए जाने की सहमति बनी। (परिशिष्ट–घ) (पृष्ठ संख्या– 16–18)

मद सं0 6. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 08.04.2017,15.04.2017 एंव 11.05.2017 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 08.04.2017,15.042017 एंव 11. 05.2017 की कार्यवृत्तों को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–ङ) (पृष्ठ संख्या– 19 – 27)**

मद सं0 7. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 24.05.2017 में पारित निर्णयों को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट–च) (पृष्ठ संख्या– 28 – 31)**

मद सं0 8. बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत दर्शनशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में सहायक प्राध्यापकों की की गई नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत दर्शनशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में सहायक प्राध्यापक की की गई नियुक्ति एवं पदस्थापन की घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही, मेधा के अनुरूप आगामी पदस्थापन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। (परिशिष्ट–छ) (पृष्ठ संख्या– 32–36)**

मद सं0 9. महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित विभिन्न परिनियमित समितियों (अनुशासन समिति,प्रमोशन समिति,स्टुडेन्ट रेसिडेंस एण्ड वेलफेयर समिति) के रिक्त पदों पर अभिषद् के द्वारा मनोनयन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित विभिन्न परिनियमित समितियों (पद– सृजन, समायोजन एवं सम्पुष्टि समिति– (एक) पद, प्रोन्नति समिति– (एक) पद,स्टुडेन्ट रेसिडेंस एण्ड वेलफेयर समिति– (एक) पद, क्रय–विक्रय समिमि– (दो) पद,अनुशासन समिति– (एक) पद एवं छात्र अनुशासन समिति– (एक) पद के रिक्त पदों पर सदस्यों को मनोनीत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं0 10. <u>अतिरिक्त मद, यदि कोई हो।</u>

अतिरिक्त मदः 01. To consider the proceedings of the Advisory Council of the University Department of Biothechonology held on 15.05.2017.

निर्णयः The proceedings of the Advisory Council of the University Department of Biothechonology held on 15.05.2017, was approved. (परिशिष्ट–ज) (पृष्ठ संख्या– 37)

अतिरिक्त मदः 02. श्री प्रेमचन्द्र, सेवा निवृत प्रधान सहायक, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर को 18 वर्ष से कम उम्र में महाविद्यालय सेवा में जाने एवं 44 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त हाने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,सर्वसम्मति से श्री प्रेमचन्द्र, सेवा निवृत प्रधान सहायक, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर की 44 वर्षों की सेवा उनके योगदान की तिथि से 44 वर्ष पूरी होने तक माना गया।

अतिरिक्त मदः 03. प्रॉक्टोरियल बॉडी के गठन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अधीन एक प्रॉक्टोरियल बॉडी गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बोर्ड गठन, संचालन एवं नियमों के निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त मदः 04. अभिषद् की बैठक दिनांक 14.01.2017 के अन्यान्य मद सं 7 में निर्णय लिया गया कि महारानी निवास के पास पूर्व से स्वीकृत बोरिंग को स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रेस के जलापूर्ति हेतु स्थानान्तरित की जाय। परन्तु बोरिंग के बदले स्वास्थ्य केन्द्र में समरसेबुल पम्प का कार्य किया गया है। भवन समिति की बैठक दिनांक 06.04.2017 के मद सं0 6 में लिये गये निर्णय अनुसार पुनः अभिषद् में विस्तृत प्रतिवेदन रखने का निर्णय लिया गया। अभिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, इस संबंध में ज्ञापिका में तथ्यों को दर्शाते हुए स्पष्ट प्रस्ताव अभिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

अतिरिक्त मदः 05. विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में हुये शासी निकाय की बैठक में चयन किये गये अध्यक्ष, सचिव, शिक्षाविद एवं शिक्षक प्रतिनिधि के नामों के अनुमोदन के संबंध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त,विभिन्न महाविद्यालयों में हुये शासी निकाय की बैठक में चयन किये गये अध्यक्ष, सचिव, शिक्षाविद एवं शिक्षक प्रतिनिधि के नामों को अनुमोदित किया गया।(परिशिष्ट–झ) (पृष्ठ संख्या– 38–39)**

अतिरिक्त मदः 06. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 – 20018/2013 (डॉ0 बिरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 के आलोक में दिये गये निर्णय पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0 20018/13 (डॉ0 वीरेन्द्र कुमार–बनाम–बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 08.05.2017 को पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए इस प्रसंग में निर्णय लिया गया कि न्यायादेश के आलोक में यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।**

अतिरिक्त मदः 07. सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासी निकायों के पुनर्गठन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त,एल0 सी0 एस0 महाविद्यालय,दरभंगा,पी0डी0के0 जे0 महाविद्यालय अन्धराठारी,मधुबनी, एस0 एन0 एम0 महाविद्यालय, भैरवस्थान,मधुबनी, पी0 एल0 एम0 महाविद्यालय झंझारपुर,मधुबनी,एस0 एम0जे0 महाविद्यालय,खाजेडीह,मधुबनी एवं आर0 बी0 एस0 महाविद्यालय,तियाई,बेगूसराय में शासी निकाय गठित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा आर0 सी0 एस0 एस0 महाविद्यालय बीहट, बेगूसराय,जी0 के0 पी0 डी0 महाविद्यालय, कर्पूरीग्राम, समस्तीपुर, एस0के0 महाविद्यालय, थतिया, समस्तीपुर, संत कबीर महाविद्यालय,समस्तीपुर एवं एन0जे0 एम0 महाविद्यालय,दरभंगा में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शासी निकाय गठन एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अतिरिक्त मदः 08. बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा पर सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के अनुमोदन पर विचार।

,नेर्णयः विचारोपरान्त, बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा पर सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों को अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मदः 09. काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय, जाले, दरभंगा के शासी निकाय का दाता सदस्य घोषित करने पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त,नियमानुकूल प्रक्रिया के अनुरूप परिनियम के प्रावधानानुसार काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय, जाले, दरभंगा के दाता सदस्यों के नाम घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त मदः 10. To Consider the post-facto approval of the notification dated 07.01.2015 in compliance of order dated 11.01.2010 passed in CWJC No. – 200/2002 is respect of the Inter-se-Seniority among three teachers of Urdu Department of L.N. Mithila University, Darbhanga.

निर्णयः विचारोपरान्त, दिनांक 11.01.2010 को पारित न्यादेश CWJC No. – 200/2002 के अनुपालन से संबंधित दिनांक 07.01.2015 को जारी अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि दो वर्ष पूर्व तक के सभी Inter-se-Seniority के मामले को चयन समिति के माध्यम से सम्पादित कर दी जाय।

अतिरिक्त मदः 11. To consider the application dated 07.04.2017 of Dr. Shefali Sinha, Reader in Botany M.R.M. College, Darbhanga for her early retirement and fixation of pension to be fixed w.e.f. 07.07.2017.

निर्णयः विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि डॉ0 शेफाली सिंहा, सह–प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग, एम0आर0एम0 कॉलेज दरभंगा को परिनियमानुसार उनके आवेदन की तिथि दिनांक 07.04.2017 से 3 महीने के बाद अर्थात्, दिनांक 07.04'2017 के प्रभाव से सेवा–निवृत होने की स्वीकृति दी गई तथा वे नियमानुसार सेवा–निवृति लाभ की हकदार होगी।

अतिरिक्त मदः 12. To consider the recommendation of the discipline Committee vide additional item no. 01 dated 20.05.2017 in connection with Dr. Meghan Prasad, Principal, H.P.S. College, Madhepur, Madhubani who has joined Magadh University, Bodh, Gaya service without being relieved by this university as well as allegation and Counter allegation leveled by him and others against him.

निर्णयः विचारोपरान्त,डा0 मेघन प्रसाद प्रधानाचार्य एच0 पी0 एस0 महाविद्यालय मधेपुर को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के सभी वकाया भुगतान के अनापत्ति प्रमाण दिये जाने के पश्चात ही विरमित किये जाने संबंधी पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मदः 1. विश्वविद्यालय अधीन पर्यटन विभाग को स्थापित किये जाने की संभावना को तलाशने के लिए माननीय कुलपति महोदय से आग्रह किया गया।

अन्यान्य मदः 2. माननीय कुलपति महोदय से अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया नियम/परिनियम के आलोक में प्रारंभ करने का आग्रह किया गया।

27/5/17

अन्यान्य मदः 3. विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक विधि पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मदः 4. विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु अभिषद की एक अलग बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मदः 7. श्री गंगाराम प्रसाद अध्यापक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान एवं डा0 श्वेता, व्याख्याता, डी0डी0ई0 के जॉच प्रतिवेदन पर विचार हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया।

अन्यान्य मदः 8. "सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के अनुपालन नही होने के संबंध में" विचार किया गया। विचारोपरान्त, आगामी बैठक में एतद् संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने की सहमति बनी।

अन्यान्य मदः 10. विश्वविद्यालय शिक्षाकर्मियों के नाम अग्रिम की अद्यतन सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की सहमति बनी।

अन्यान्य मदः 11. "छात्रसंघ के चुनाव किये जाने एवं समाजिक कुरीतियों से संबंधित जागरूक्ता कार्यक्रम प्रंरभ किये जाने के संबंध विचार हेतु माननीय कुलपति महोदय से आग्रह किया गया।

अन्यान्य मदः 12. सी0 एम0 जे0 महाविद्यालय दोनबारीहाट खुटौना,मधुबनी के प्रभारी प्रधानाचार्य के महाविद्यालय में नही रहने की समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये की सहमति बनी।

अन्यान्य मदः 13. के0 एस0 महाविद्यालय दरभंगा एवं मिल्लत महाविद्यालय,दरभंगा के उर्दू के शिक्षक डा0 के सज्जाद एवं डा0 मो0 इफ्तार अहमद के प्रोन्नति में डेटसिफटिंग में हुई विसंगति के विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की सहमति बनी।

अन्यान्य मदः 14. एस0 एम0 जे0 महाविद्यालय, खाजेडीह, मधुबनी के शासी निकाय/तदर्थ समिति गठन से संबधित संचिका कुलपति महोदय द्वारा देखे जाने का आग्रह किया गया।

अन्यान्य मदः 15. आउटसोर्स कर्मी को अनुंबंध पर बहाली के संबंध में प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मदः 16. भी0 एस0 जे0 महाविद्यालय,राजनगर मधुबनी में कार्य किये बगैर 17 लाख के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की सहमति बनी।

अन्यान्य मदः 17. अग्रिम समायोजन में 10% अतिरिक्त व्याज जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया नही है इसे ब्याजमुक्त किये जाने से संबंधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की सहमति बनी।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक समाप्ति पूर्व सदन को विश्वविद्यालय द्वारा किये गये आवश्यक कार्यो की जानकारी दी गई जिसकी सराहना सभी सदस्यों द्वारा किया गया

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पचात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0/–
(मुस्तफा कमाल अंसारी)
कुलसचिव–सह–सचिव

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB-1456-1510/17

दिनांक : 27/05/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

27/5/17
कुलसचिव

27/5/17